संख्या: 22/2015/1274/पैंतीस-2-2015-3/39(108)/2011

प्रेषक,

कृष्ण कान्त अस्थाना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर, 2015**

विषय- **निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन का प्रतिस्थापन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 390/ले0-17/2015, दिनांक 26.05.2015 एवं पत्र संख्या: 446/ले0-17/2015, दिनांक 05.06.2015 तथा अपने पत्र संख्या: 829/ले0-17/2015, दिनांक 16.09.2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी फैजाबाद, सिद्वार्थनगर तथा रायबरेली के क्रमश: निष्प्रयोज्य वाहन संख्या: यू0एच0यू0-1583, यू0पी0-32 सी 5569 तथा यू0जी0बी0-490 के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप नये वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त 03 वाहनो के स्थान पर 02 वाहन बोलेरो माडल BOL LX 2wd BS4 NAC डी0जी0एस0एण्ड डी0 रेट पर लागत प्रति वाहन रू0 5,89,327/- (सभी कर सहित) की दर सहित कुल लागत रू0 11,78,654/- तथा 01 वाहन माडल HONDA AMAZE SMT (Petrol) अनुमानित लागत रू0 6,22,400/- कुल धनराशि रू0 18,01,054/- (रू0 अटठारह लाख एक हजार चौव्वन मात्र) क्रय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय किये जाने वाले प्रश्नगत वाहन एवं उसकी सामग्री की गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर सुनिश्चित करने का दायित्व अर्थ एवं संख्या प्रभाग का होगा।
(2) प्रश्नगत वाहनों का क्रय, निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
(3) निष्प्रयोज्य घोषित तीन वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप पूर्व में अन्य वाहन क्रय नहीं किया गया है।
(4) प्रश्नगत वाहन जिसकी नीलामी हुई है, वह समस्त राजकीय वाहन है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय की मद-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार्य/मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: यू0ओ0-ई-5-1298/दस-2015, दिनांक 06.11.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 22/2015/1274 (1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।